रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 23, 2006/कार्तिक 1, 1928
No. 243] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 2006/KARTIKA 1, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2006

सं. 66 (आर ई-2006)/2004—2009

फा. सं. 01/89/180-विविध-65/एएम 05/पीसी-I (ए).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैरा 2.32.2(2) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"इसके अतिरिक्त, धातु अपशिष्ट और स्क्रैप की सभी आयात खेपों के साथ यह दर्शाता हुआ पूर्व-पोतलदान निरीक्षण प्रमाण-पत्र होना चाहिए कि :

(i) खेप में किसी भी प्रकार का हथियार, गोला बारूद, सुरंग, शेल्स, कारतूस, रेडियो एक्टिव सम्मिश्रण या कोई अन्य विस्फोटक सामग्री प्रयुक्त अथवा अन्यथा किसी भी रूप में नहीं है ।

(ii) इस प्रकार के वर्गीकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार आयातित मद (मदें) धातु अपशिष्ट/स्क्रैप/पुराने/खराब हैं ।

प्रमाण-पत्र का प्रपत्र पूर्व-पोतलदान एजेन्सियों द्वारा जारी किया जाएगा । ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों के नाम और इन एजेन्सियों के प्राधिकरण के लिए प्रक्रिया 1-4-2007 से लागू की जाएगी, जिसे यथा समय अलग से अधिसूचित किया जाएगा ।

2. पैरा 2.32.2 (घ) का अन्तिम पैरा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

"पंजीकृत स्रोतों से आयात की नई प्रणाली 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी । तथापि, ऐसे मामलों में जहां लदान बिल की तारीख 31 मार्च, 2007 अथवा इससे पहले है, तो आयात की अनुमति समय-समय पर यथा-संशोधित और सार्वजनिक सूचना सं. 1, दिनांक 8 अप्रैल, 2005 द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 2.32 के पूर्व पोतलदान निरीक्षण व्यवस्था के आधार पर होगी, जब तक कि पंजीकृत स्रोतों से आयात की नई प्रणाली लागू नहीं होती ।"

3. पैरा 2.32.2(ङ) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

"पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से केवल सीधे आयातों की अनुमति होगी । तथापि, आयात सौदों से संबंधित सभी दस्तावेजों में, आयातक के साथ-साथ निर्यातक के नामों का भी उल्लेख करना होगा । समुद्र में बिक्री की अनुमति नहीं होगी ।"

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 23rd October, 2006

No. 66 (RE-2006)/2004—2009

F. No. 01/89/180-Misc. 65/AM 05/PC-I (A).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—09 and Paragraph 1.1 of Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1).

1. The following shall be added at the end of para 2.32.2 (a):

"In addition, all import consignments of Metallic Waste and Scrap must accompany a Preshipment Inspection Certificate stating that:

(i) The consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, radio active contaminated or any other explosive material in any form either used or otherwise.

(ii) The imported item(s) is actually a metallic waste/scrap/ seconds/defective as per the internationally accepted parameters for such a classification.

The format of the certificate to be issued by the Preshipment Agencies, Names of the Agencies authorized to issue such certificates and procedure for authorization of these agencies to be made operational with effect from 1-4-2007, will be notified separately in due course.

2. Last Para of Paragraph 2.32.2 (g) will be amended to read as follows:

"The new system of import from registered sources will come into effect from 1st April, 2007. However, in cases where Bill of Lading is dated 31st March, 2007 or before, imports will be allowed on the basis of Pre-Shipment Inspection regime in terms of Para 2.32 of the Handbook of Procedures (Vol. 1), notified *vide* Public Notice No. 1 dated 8th April, 2005 and as amended from time to time, till the new system of import from registered sources comes into effect."

3. Paragraph 2.32.2(e) will be amended to read as follows:

"Only direct imports from registered suppliers will be allowed. However, in all documents relating to import transactions, name of importer as well as exporter will be indicated. No high sea sale would be allowed."

4. This issues in public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.